<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना- नवाबाद, जिला-झाँसी</u>

<u>दिनांकः- 10.09.2026</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना नवाबाद पुलिस द्वारा बड़े व्यापारी को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देकर अवैध रूपयो की माँग करने वाला वांछित अभियुत गिरफ्तार**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 10.09.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 486/26 धारा 308(6)/352 BNS व 66सी/67ए आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त पवन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मोहन लाल विश्वकर्मा निवासी खेरे चौराहा कृष्णा कालोनी फौजी गार्डन के पास नगरा थाना प्रेमनगर जिला झांसी उम्र करीब 38 वर्ष को राजेन्द्र प्रसाद मार्ग तिराहा रेलवे स्टेशन रोड से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनाँक 31.08.2026 को आवेदक श्री बसंत चतुर्वेदी पुत्र श्री मनोहर लाल चतुर्वेदी निवासी 11, शास्त्री मार्ग सिविल लाइन्स थाना नवाबाद झांसी मो0नं0 9450080992 द्वारा दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर बावत अभि0 द्वारा वादी को बलात्कार का मुकदमा लिखाने की धमकी देते हुये 05 लाख रूपयो की अवैध मांग करना व अपने व अपनी पत्नी के नाम से फर्जी ID बनाकर AI के माध्यम से प्रार्थी की फोटो को एडिट करके अभद्र, अश्लील व आपत्तिजनक फोटो बनाकर फेसबुक/वाट्सएप पर पोस्ट करके वादी को छवि को समाज में धूमिल करने के सम्बन्ध में अभि0 पवन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मोहन लाल विश्वकर्मा निवासी खेरे चौराहा कृष्णा कालोनी फौजी गार्डन के पास नगरा थाना प्रेमनगर जिला झांसी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अ0सं0 486/26 धारा 308(6)/352 BNS व 66सी/67ए आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना नवाबाद द्वारा गृहण की गई। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पवन विश्वकर्मा उपरोक्त की तलाश थाना स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। जिसकी गिरफ्तारी व तलाश के प्रयासों से आज दिनांक 10.09.2026 को निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना नवाबाद द्वारा मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अभियुक्त पवन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मोहन लाल विश्वकर्मा निवासी खेरे चौराहा कृष्णा कालोनी फौजी गार्डन के पास नगरा थाना प्रेमनगर जिला झांसी उम्र करीब 38 वर्ष को राजेन्द्र प्रसाद मार्ग तिराहा रेलवे स्टेशन रोड से सकुशल गिरफ्तार किया गया। जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बरामदगी –

01 अदद मोबाइल फोन सैम्संग कम्पनी का

नाम पता अभियुक्त –

पवन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मोहन लाल विश्वकर्मा निवासी खेरे चौराहा कृष्णा कालोनी फौजी गार्डन के पास नगरा थाना प्रेमनगर जिला झांसी उम्र करीब 38 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1.अ0सं0 486/26 धारा 308(6)/352 BNS व 66सी/67ए आईटी एक्ट थाना नवाबाद झांसी
2.अ0सं0 383/26 धारा 308(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 66 (C) IT Act थाना नवाबाद झांसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जिला झाँसी
2. निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना नवाबाद जिला झाँसी
3. हे0का0 214 आशुतोष थाना नवाबाद जिला झाँसी
4. हे0का0 371 नीतू कुमार थाना नवाबाद जिला झाँसी